महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छयालीसवां संस्करण (माह अगस्त, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन
3. बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन
4. मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम
5. ए.टी.एम. का उपयोग एवं सावधानियाँ
6. आज की बचत कल का भविष्य
7. महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से हुआ सशक्तिकरण
8. मनरेगा अंतर्गत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना
9. ''स्किल इंडिया पोर्टल पर मेसन प्रशिक्षण डाटा अपलोडिंग'' विषय पर प्रशिक्षण

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छयालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मंत्री, श्री कमलेश्वर जी पटेल एवं भारत शासन के सचिव श्री प्रशांत कुमार जी के सानिध्य में आयोजित **''प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन''** तथा **''स्किल इंडिया पोर्टल पर मेसन प्रशिक्षण डाटा अपलोडिंग'' विषय पर प्रशिक्षण''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन''** आलेख के माध्यम से श्री परसराम पटेल, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोदा, जिला पंचायत जबलपुर की मेहनत, लगन, व्यवहार की वजह से ग्राम पंचायत में आये बदलाव की कहानी है, वही **''मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम'', ''ए.टी.एम. का उपयोग एवं सावधानियाँ'', ''आज की बचत कल का भविष्य'', ''महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से हुआ सशक्तिकरण'' एवं ''मनरेगा अंतर्गत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना''** पर आलेख को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 08.08.2019 को मध्यप्रदेश भोपाल स्थित जहांनुमा पैलेस में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की दो दिवसीस क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । उक्त कार्यशाला में माननीय विभागीय मंत्री श्री कमलेश्वर जी पटेल, भारत शासन के सचिव श्री प्रशांत कुमार जी, मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव पदेन विकास आयुक्त श्रीमती गौरी सिंह, संचालक, रोजगार ग्रामीण श्री दिलीप कुमार जी, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ जी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य से भी प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला का शुभांरभ मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी द्वारा सम्मानीय अतिथि एवं अधिकारीयों की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर किया गया ।

कार्यक्रम का शुभारंभ पश्चात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में लो–कॉस्ट हाउस बनाए जाएंगे।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि ग्रामीण अंचल में 13 लाख 44 हजार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। अब सरकार का प्रयास है कि आवास की लागत में कमी की जाए। इसके लिए एन.आई.आर.डी. का सहयोग लिया जा रहा है। श्री पटेल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में लागत की विसंगतियों और केन्द्र का राज्यांश बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवाचार की कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की 10 हजार महिलाओं को राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है।

अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री प्रशान्त कुमार जी ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है।

रोजगार ग्रामीण संचालक श्री दिलीप कुमार जी ने प्रदेश में आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण कार्यो की उपलब्धियों का प्रजेन्टेशन दिया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने अपने राज्य की उपलब्धियों का प्रजेन्टेशन दिया।

राज्य के प्रतिनिधियों प्रजेन्टेशन उपरांत महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान के संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संचालित हो रहे, आवास निर्माण के साथ राजमिस्त्रीयों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता जांचने हेतु नोडल अधिकारी को जिलेवार प्रभार एवं प्रशिक्षण पश्चात् राजमिस्त्री की परीक्षा एन. एस.डी.सी. के मापदंड अनुसार कराने की प्रक्रिया का पूरा प्रजेन्टेशन दिया गया।

संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ द्वारा बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया का संचालन पूर्णतः मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कराया जा रहा है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की भागीदारी के कारण ही गत वर्ष में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास एवं राजमिस्त्री प्रशिक्षण में पूरे भारत देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

इस तरह कार्यशाला का प्रथम दिवस में पूर्ण हुआ, द्वितीय दिवस 09.08.19 हेतु निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी समूह चर्चा में दी गई। जिसमें कार्यशाला में भागीदार समस्त सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवासों की विजिट हेतु सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत में ले जाया जायेंगा। इस जानकारी देने के बाद कार्यशाला के प्रथम दिवस के समापन की घोषणा की गई ।

आशीष कुमार सोनी
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन

मध्यप्रदेश की जिला पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत सिहोदा आज कई मायनों में ग्रामीण विकास और पंचायतराज व्यवस्था में अग्रणी है। ग्राम पंचायत को सफलता की बुलंदियों पर पहुॅचाने में गांव के ही युवक **श्री परसराम पटेल** का योगदान सराहनीय है। आईये देखते हैं श्री परसराम पटेल के प्रयत्नों की सार्थकता की कहानी उन्हीं की जुबानी ...

जबलपुर के निकट प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल भेड़ाघाट के

पास ही है ग्राम पंचायत सिहोदा। सिहोदा गांव वर्ष 2000 तक भेड़ाघाट ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम था। इसके बाद सिहोदा को ग्राम पंचायत बनाया गया। ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के निर्वाचन होना था। हम सभी गांव वालों ने विचार किया कि हम लोग अपनी ग्राम पंचायत को निर्विरोध निर्वाचित करेंगे। वर्ष 2000–2005 के हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच और सभी वार्ड के पंचों का चयन आपसी सहमति से किया गया और हमारी ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत की श्रेणी में आ गई।

मैं सिहोदा गांव का साधारण सा किसान हूॅ। मुझे अपने वार्ड के लोगों ने पंच के रूप में चुना और मुझे अपनी ग्राम पंचायत में उपसरपंच का दायित्व दिया। मैंने अपने सरपंच और सभी पंचों के साथ मिल कर आपसी सहमति और सभी की सहभागिता से गांव के विकास का काम प्रारंभ किया। हमारी ग्राम पंचायत नवीन बनी थी सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत भवन बनवाया। इसके बाद हमारे गांव के लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमने संबंधित विभागों से सम्पर्क किया।

हमारे गांव में खेती–बाड़ी का काम अधिकांश लोग करते हैं। लोगों के पास मवेशी भी थे। बहुत से परिवारों में गाय, बैल, भैंस पाली जाती है। जिनका गोबर फालतू ही चला जाता था। हमने उर्जा विकास निगम से सम्पर्क किया और जानकारी ली कि हम इन्हें किन स्कीमों से लाभ दिला सकते हैं। उर्जा विकास निगम के अधिकारियों की सलाह पर गांव में बायोगैस लगवा कर घरेलू गोबर गैस का उपयोग करना चालू कर दिया गया। इससे हमारे यहां पर गोबर का सही उपयोग होने लगा। इसके साथ ही साथ हम लागों ने ग्राम पंचायत सिहोदा में बर्मी पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाना प्रारंभ किया गया। अब हमें बर्मी कम्पोस्ट खाद मिलने लगी जिसे हम लोग अपने खेतों में डालने लगे और हमारी खेती से उपज भी पहले की तुलना में ज्यादा मिलने लगी। हमारे गांव का पानी गांव में रहे इसके लिए हम लोगों ने सोकपिट तकनीक को अपनाया। सोक पिट के माध्यम से जलसंचयन होने लगा और हमारे गांव के जलस्त्रोतों का जलस्तर में काफी सुधार हुआ। बायोगैस, बर्मी कम्पोस्ट, सोक पिट गतिविधि से हमें बहुत सुविधा मिलने लगी। हमारे गांव में अधिकांश लोगों ने इन तकनीकों के सहारे अपने आप को अच्छे से सम्हाल लिया था। हमारे प्रयासों के परिणाम अच्छे मिल रहे थे। हमारी सफलता की गूंज जिला ही नहीं वरन् प्रदेश स्तर पर पहुॅची और हमें 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया।

इसके बाद हमारा पंचायत का कार्यकाल भी पूर्ण हो गया था। हमारी ग्राम पंचायत में वर्ष 2005–2009 के लिए निर्वाचन हुए किन्तु उसी समय हमारे पंचायतराज अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जिन के तीन या उससे अधिक बच्चें हो वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। मैं तो सीधा चुनाव नहीं लड़ पाया था किन्तु समाज सेवा का जब्बा दिल में लिये हुये अपनी पंचायत की सेवा में लगा रहा। इसके बाद वर्श 2009–10 में मैं ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में निर्वाचित हुआ।

हमारी ग्राम पंचायत में पूर्व से खेती–बाड़ी, जल संचयन, वैकल्पिक उर्जा का उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियां चल ही रहीं थी। अब हम लोगों ने स्व–सहायता समूहों के गठन और उन्हें मजबूत करने के प्रयास प्रारंभ कर दिये थे। हमारी ग्राम पंचायत में 18 स्व–सहायता समूहों की 250 सदस्यों का कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व–रोजगार से जोड़ा गया। स्व–सहायता समूहों के सदस्यों को बकरीपालन, गौपालन, मछलीपालन, बर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, झाड़ू बनाना, सब्जी उत्पादन, चॉवल मिल, दलिया मिल इत्यादि आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया।

हमारी ग्राम पंचायत को वर्श 2011–12 में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। गांव की साफ–सफाई के लिए ग्रामवासियों के सहयोग से हम लोगों ने बहुत सी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। अब हमारी ग्राम पंचायत में समग्रता में विकास कार्य चल रहे थे। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिये हमारी ग्राम पंचायत विकास के नये–नये मापदण्ड स्थापित करते जा रही थी। हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण, बालिका शिक्षा, छुआछूत मिटाने के प्रयास किये गये। जिला स्तर पर स्वच्छ ग्राम पंचायत के रूप में चुना गया। अब हमारे गांव की साफ–सफाई और विभिन्न गतिविधियों को देखने के लिए जिले, प्रदेश के साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी लोग आने लगे। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आने वाले लोग हमारे गांव के लोगों से भी बातचीत करते। इससे हमारे ग्रामवासियों का भी हौंसला बढ़ा।

वर्ष 2014–15 में हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए किये गये प्रयासों के कारण जिला जबलपुर द्वारा मुझे ''स्वच्छता हेतु ब्रांड एम्बेसडर'' चुना गया। अब मैं अपनी ग्राम पंचायत के साथ ही साथ अन्य, जिलों, राज्यों में भी जा–जाकर अपनी ग्राम पंचायत सिहोदा में किये गये साफ–सफाई के कार्यो से संबंधित अनुभवों पर चर्चा करने लगा था। जिला पंचायत जबलपुर, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म.प्र. जबलपुर, प्रशासन अकादमी भोपाल, जल एवं भू प्रबंधन संस्थान भोपाल, अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में स्वच्छता, ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना, जलसंरक्षण – जलसंवर्धन, आधुनिक कृषि, जैव–विविधता, पंचायतराज व्यवस्था आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे इन विषयों पर मास्टर रिसोर्स परसन भी बनाया गया। मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

वर्ष 2015 में हमारी ग्राम पंचायत में महिला सरपंच निर्वाचित हुई हैं। हम सभी ग्रामवासी मिल कर पूरी ग्राम पंचायत के कार्यो को सफल बनाने का प्रयास करते रहे। हमारी ग्राम पंचायत में विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। ग्राम पंचायत सिहोदा में हम लोगों ने शासन की निम्नानुसार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विकास कार्य करवा रहे हैं :–

- हमारी ग्राम पंचायत को वर्ष 2017–18 में खुले से शौचमुक्त घोषित किया गया और पुरस्कार भी दिया गया है। ग्राम पंचायत के सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय बनावा दिये गये हैं और सभी लोग इन शौचालयों का उपयोग भी करते हैं। गांव में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाये गये। डोर–टू–डोर कचरा एकत्रित करके गांव के बाहर उनके निपटान का कार्य प्रतिदिन किया जाता है।
- हमारी ग्राम पंचायत को वर्ष 2018–19 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय – सशक्त ग्राम पंचायत के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है।
- पंच परमेश्वर एवं 14वें वित आयोग की राशि से गांव की सभी सड़कें सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ बनावा दी गई हैं जिससे ग्रामीणजनों के आवागमन में बहुत सहुलियत हो गई है। गांव में शमशानघाट का निर्माण ''शांतिधाम'' योजना से करवाया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिन ग्रामवासियों के कच्चे मकान थे उनके पक्के आवास बनवा दिये गये हैं वे अब अपने स्वंय के पक्के मकान में रह रहे हैं।
- उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जन–धन योजना, मुद्रा योजना का लाभ सभी पत्र हितग्राहियों को दिया गया है।
- दस्तक योजना में कुपोषण से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।
- ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों के घरों एवं खेतों की मेढ़ में प्रतिवर्श जनउपयोगी एवं फलदार वृक्ष रोपित किये जाते हैं। इससे जहां एक ओर वृक्षों से हमें कई तरह के लाभ मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर मिट्टी का कटाव भी रूक रहा है। भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए गतिविधियों चलाई जा रहीं हैं।

हमारा उद्देश्य हमारी ग्राम पंचायत सिहोदा को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने का है। ग्राम पंचायत सिहोदा में शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का कनवरजेंस करके हितग्राहीमूलक और सामुदायिक कार्य करवाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में भौतिक एवं मानव संसाधन का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा रहा है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

मास्टर रिसोर्स परसन के 04 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज

संस्थान हैदराबाद के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 04 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम की कड़ी में दिनांक 30 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में असेसमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें NIRD&PR हैदराबाद के ट्रेनिंग मैनेजर श्री मुनीश जैन उपस्थित हुए, कार्यक्रम के अंतिम 02 दिवस में श्री मुस्ताक शेख जम्मू कश्मीर से सेवानिवृत्त .आई.ए.एस एवं श्री संजय राजपूत एमजीएसआईआरडी एण्ड पीआर जबलपुर से नेशनल रिसोर्स एसेसर प्रतिभागियों के असेसमेंट के लिए उपस्थित हुए । कार्यक्रम का प्रारम्भ प्राचार्य

श्रीमती यशोधरा कनेश एवं श्री मुनीश जैन द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया । श्री मुनीश जैन द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए एन.आई. आर.डी.एण्ड पी.आर. हैदराबाद की फिल्म प्रतिभागियों को दिखाई गई। कार्यक्रम मे एमजीएसआईआरडी एण्ड पीआर जबलपुर के संचालक श्री संजय सराफ भी उपस्थित हुए उनके द्वारा प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए मास्टर रिसोर्स परसन के सर्टीफिकेशन प्रोग्राम के महत्व पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया । साथ ही संचालक श्री संजय सराफ द्वारा एवं संस्थान प्राचार्य/उपायुक्त(विकास) श्रीमती यशोधरा कनेश द्वारा हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में संस्थान में वृक्षारोपण किया गया ।

मास्टर रिसोर्स परसन के कार्यक्रम में इन्दौर संभाग के इन्दौर/धार/झाबुआ/अलीराजपुर जिले के

कुल 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, एनआरएलएम के सीआरपी तथा जनप्रतिनिधि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हुए ।

जिसमें प्रतिभागियों को प्रथम 02 दिवस में विषय से संबंधित जानकारी दी गई एवं शेष 02 दिवस में नेशनल एसेसर द्वारा सभी का असेसमेंट किया गया। अंत में सभी को प्रामाण–पत्र वितरित किये गये।

इस कार्यक्रम का सत्र संचालन श्रीमती सुधा जैन एवं श्री तल्लीन बड़जात्या संकाय सदस्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने में सभी संकाय सदस्यों द्वारा सराहनीय सहयोग प्रदान किया गया ।

श्रीमती उर्मिला पंवार,
संकाय सदस्य

स्वचालित टेलर मशीन(एटीएम)

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की पहली व्यावसायिक शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी। एटीएम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास साबित हुई जिसने वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को 24X7 वातावरण में सेवाएं प्रदान की सुविधा दी। एटीएम ने ग्राहकों को जब भी नकदी की आवश्यकता हो, उनके निकटतम एटीएम में उसे उपलब्ध कराकर उनकी सुविधा में इजाफा किया है।

वित्तीय संस्थानों ने अपने एटीएम में सुरक्षा के उन्नयन और धोखाधड़ी के लिए गुंजाइश कम करने की की कई रणनीतियां लागू की है। इनमें शामिल हैं एटीएम की स्थापना के लिए सुरक्षित स्थान का चयन, निगरानी वीडियो कैमरों की स्थापना, दूरस्थ निगरानी की स्थापना, कार्ड की जानकारी अनधिकृत रूप से पढ़कर निकाल लिए जाने के विरुद्ध समाधान, और एटीएम या इंटरनेट पर लेनदेन के समय उनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी देकर उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना।

एटीएम धोखाधड़ी

जालसाज एटीएम कार्ड स्लॉट में प्लास्टिक की फिल्म का एक टुकड़ा तह कर डालता ताकि वह कार्ड को पकड़ ले और मशीन द्वारा उसे बाहर फेंकने की अनुमति न दे। उपभोक्ता समझता है की उसका कार्ड मशीन में फंस गई है और वह नहीं जान पाता है कि कार्ड स्लॉट के साथ छेड़छाड़ की गई है।

एक बार डाला गया कार्ड फंस जाता है तो जालसाज एक जायज कार्डधारक के रूप में शिकार को अपना सुरक्षा कोड पुनः दर्ज करने का सुझाव देता है। जब कार्डधारक अंततः निराश होकर चला जाता है, तो जालसाज कार्ड निकालकर गुप्त रूप से देखा गया कोड दर्ज कर देता है। एक और तरीका है छोटे कैमरों और **स्किमर्स** नामक ऐसे उपकरणों द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग जो बैंक खाते की जानकारी पकड़कर रिकार्ड कर लेते हैं। इसमें जोखिम कम होता है क्योंकि इसमें जालसाज–शिकार के बीच कोई संवाद नहीं होता तथा जालसाज की अनुपस्थिति कार्डधारक को थोड़ा अधिक बेपरवाह बना देती है तथा वह पासवर्ड की सुरक्षा के बारे में कम सजग हो जाता है।

एटीएम धोखाधड़ी की एक और दिलचस्प विधि है जालसाज द्वारा डुप्लीकेट एटीएम जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो उन मशीनों पर टाइप किए गए पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद डुप्लीकेट कार्ड निर्मित किए जाते हैं और चोरी के पासवर्ड का उपयोग कर पैसे निकाले जाते हैं। कभी–कभी ऐसी धोखाधड़ी अंदरूनी होती है जिसमें कार्ड जारी करने वाली कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। ऐसी धोखाधड़ी का तरीका चाहे जो कुछ भी हो लेकिन यह निश्चित रूप से अवैध है और संबंधित देश के कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। हालांकि सजा के बावजूद संभव है कि इस प्रक्रिया में खो गया धन वापस नहीं मिले। इस प्रकार, एक अपराधी को सजा हालांकि अन्य अपराधियों के लिए निवारक साबित होंगी तथापि यह चोरी की संपत्ति की बहाली का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसलिए, निवारक निगरानी और एटीएम धोखाधड़ी जोखिम बीमा कराना सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

सावधानी से उपयोग

एटीएम का उपयोग करते समय सावधान रहें, खासकर तब जबकि नकद प्राप्त हो रहा हो। उस दौरान इन सावधानियों का पालन करें

- हमेशा एटीएम के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों या गतिविधि के प्रति सजग रहें– यदि आपको कुछ भी अजीब दिखाई दें, तो वहां से निकल जाएं और फिर कभी (जरुरत पड़ने पर) वापस आएं।

अंधेरे के समय किसी साथी के साथ जाएं।

- एक अच्छी तरह से उजले क्षेत्र में एटीएम के पास के गाड़ी पार्क करें, अपनी कार को लॉक करें।
- अपना एक्सेस कोड दर्ज करते समय अपने शरीर का एक ढाल के रूप में प्रयोग करें करें, ताकि टाइप करते समय कोई उसे देख न पाएं,
- अपने लेनदेन की समस्त रसीदें अपने साथ ले जाएं, उन्हें एटीएम के पास नहीं फेंकें, अगर आपको नकदी मिल जाए तो उसे लेकर दूर जाएं, एटीएम के सामने खड़े होकर नहीं गिनें,
- अजनबियों से एटीएम के लिए कभी सहायता स्वीकार नहीं करें, मदद के लिए बैंक से पूछें,
- अपना एक्सेस कोड याद रखें, उसे कहीं नहीं लिखें तथाध या अपने साथ नहीं रखें, ऐसे एक्सेस कोड का उपयोग न करें जो आपके जेब में मौजूद अन्य शब्दों या संख्या के समान हों,अपना एक्सेस कोड कभी किसी को नहीं बताएँ! (बैंक कर्मचारियों, पुलिस सहित), अपना एटीएम कार्ड कभी किसी को नहीं दें, इसे नकद या क्रेडिट कार्ड की तरह समझें,
- यदि आपका एटीएम कार्ड खो जाए, तो अपनी बैंक या क्रेडिट यूनियन को तुरंत सूचित करें।

बैंकिंग सुझाव

समय पर एसएमएस और ई–मेल संदेश प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल बैंकिंग लेनदेन के लिए सक्रिय करें,

- आपका वित्तीय संस्थान या बैंक आपके बैंकिंग विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कभी ई–मेल नहीं भेजता है, नियमित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते के विवरण की जाँच करें और अपने लेनदेन का हिसाब–किताब रखें,

- चेकबुक, स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड की सही पते पर प्राप्ति के लिए पते में परिवर्तन जैसे विवरण अद्यतन करें, फिशिंग हमलों से रक्षा के लिए आपके ब्राउजर में फिल्टर फिशिंग होना चाहिए और अपने ई–मेल में अद्यतन करने या लेनदेन के लिए कभी किसी लिंक पर क्लिक न करें।
- एक मजबूत और याद रखने योग्य आसान पासवर्ड बनाएं और उसे नियमित रूप से बदलते रहें। विशिंग एक प्रकार की फिशिंग है, जहाँ व्यक्तिगत जानकारी देने में फाँसने की कोशिश के लिए ई–मेल देने के बजाय अपराधी बैंक या क्रेडिट यूनियन के ग्राहक से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए एक प्रत्यक्ष या स्वचालित फोन का उपयोग करता है।
- किसी बैंक या क्रेडिट कार्ड प्रदाता से एक कॉल प्राप्त होने पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने से अपने आपको रोकने का यथासंभव प्रयास करें।

एटीएम उपयोगकर्ता के लिए सुझाव

- एटीएम मशीन में कुछ भी असाधारण दिखने वाली बात से सावधान रहें, जैसे अजीब दिखने वाले उपकरण या उपकरण के साथ संलग्न तार,
- छेड़छाड़ नहीं (नो टेम्परिंग) चिन्ह देखें। बदमाश किसी नए उपकरण के बारे में उत्सुक लोगों को रोकने के लिए इन्हें लगा देते हैं,

- एक जाम एटीएम मशीन से बचें जो ग्राहकों को ऐसी एटीएम मशीन के उपयोग के लिए विवश करती है जिसमें स्किमर लगा हो। अक्सर अपराधी क्षेत्र में अन्य एटीएम निष्क्रिय कर देगा ताकि उपयोगकर्ता उस मशीन पर आकर्षित हों जिसमें स्किमर लगा हों,
- ग्राहकों को अपने बैंक खातों की नियमित जाँचकर यह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि कोई असामान्य या अनधिकृत लेनदेन तो नहीं हो रहा हो। संघीय कानूनों में एटीएम धोखाधड़ी से हुआ नुकसान सीमित है और कई बैंक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं,
- विवरण के लिए उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय संस्थान के साथ संपर्क करनी चाहिए,
- यदि आपको किसी एटीएम के आसपास असामान्य या संदिग्ध कुछ भी दिखाई दें, या यदि आपको अपने बैंक खाते में अनधिकृत एटीएम लेनदेन मिले, तो तुरंत स्थानीय कानून प्रवर्तन और साथ ही अपने वित्तीय संस्थान या बैंक को सूचित करें।

शिव कुमार सिंह,
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

आज की बचत कल का भविष्य

प्रस्तावना

पूंजी बनाने के लिये बचत एक पहला कदम है । गरीब व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का मुख्य लक्षण है उनके पास पूंजी न होना, धन का कुछ संचय न होना जो उनके संकट के समय काम आ सके। वे हमेशा नगद से काम चलाते हैं। वर्तमान में जीते हैं। भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। इसी कारण उनमें बचत करने की आदत नहीं होती ।

यदि एक गरीब व्यक्ति को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकलना है तो बचत की आदत डालना अत्यंत आवश्यक है । यह उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है, उन्हें स्वावलंबी बनाता है जो उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करता है ।

बचत की जानेवाली राशि कितनी ही छोटी क्यों न हो बचत किया जाना महत्वूपर्ण है । गरीब व्यक्ति के मन का डर कि वह बचत नहीं कर सकता क्यों कि वह सक्षम नहीं है दूर करने में यह पुस्तक उसकी मदद करेंगी व उनको बचत हेतु प्रोत्साहित करेंगी ।

बचत का अर्थ

(1) परिभाषा – ''संचय के रूप में अलग रखी गई धन की एक राशि'' बचत है ।

(2) ''बचत याने खर्चों की कटौती जिसे हम सामान्यतया फिजूल के खर्चों को कम करना कहते हैं''।

बचत को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि धन की एक राशि जो खर्च न की गई हो या किसी विशेष उद्देश्य से अलग रखी गई हो बचत कहलाती है ।

सरल शब्दों में बचत का अर्थ

आय – खर्च = बचत

यदि खर्च आय से अधिक होता है तो

खर्च – आय = उधार लेना

बचत की आवश्यकता क्यों ?

प्रत्येक व्यक्ति समाज में, परिवार में रहता है। परिवार के सदस्यों की जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह, मृत्यु कियाकर्म, बुढ़ापा, सामाजिक रीति रिवाज, तीर्थयात्रा, मकान, जमीन, वाहन की खरीदी, दुर्धटना इत्यादि के लिये उसे अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होती है जो बचत से कुछ हद तक पूर्ण हो सकती है।

अतः बचत भविष्य के गैर संभावित जरूरतों को पूरा करने में ढाल के रूप में समझा जा सकता है। अगर कोई सदा मुस्कुराना चाहता है तो सबसे पहले आपात स्थिति से बचने के लिये बचत जरूर करें ।

आय/खर्च और बचत का संबंध

यदि हमारी आय कम है और खर्च ज्यादा है तो हमें उधार पैसा लेकर काम चलाना पड़ेगा । लिया गया उधार पैसा चुकाने का रास्ता भी खोजना पड़ेगा नही तो हमारी रातों की नींद उड़ जावेगी ।

इसके दो ही रास्ते हैं एक तो आय बढ़ाने का प्रयास अथवा खर्चे में कमी । दोनों ही मुश्किल है अतः जो आय हो रही है उसी में से अनावश्यक खर्च कम करके बचत की आदत डालें ।

- परंतु बचत नियमित रूप से करें ।
- इससे पैसे में बढ़ोतरी होती है ।
- नियमित बचत के साथ शीघ्रता भी होना चाहिए ।

जितनी जल्दी आप बचत करना प्रारंभ करेंगे और जितनी लंबी अवधि तक बचत निरंतर जारी रखेंगे उतना अधिक लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होगा ।

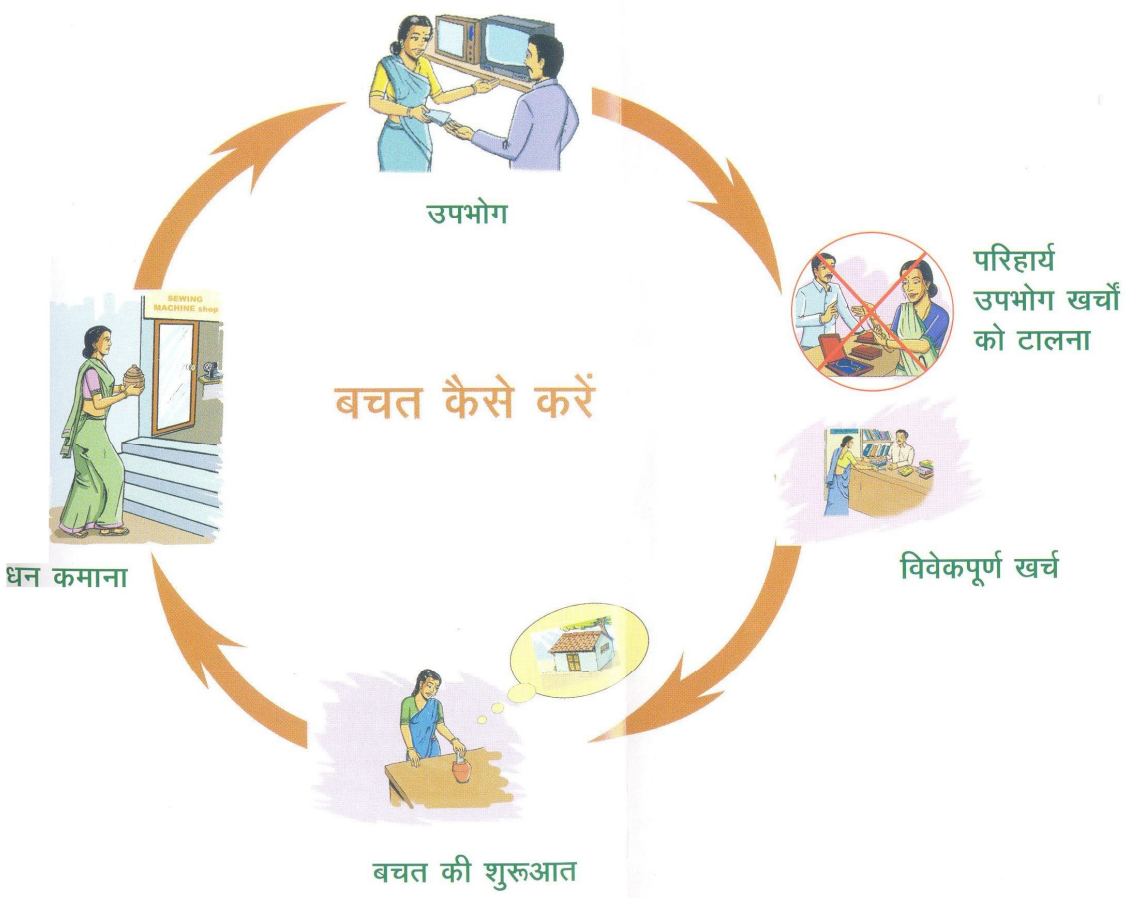

ध्यान रखने योग्य बातें

- बचत का पैसा गुल्लक में या घर में ना रखें उसे बैंक, पोस्ट ऑफीस में ही जमा करें ।
- बचत बार–बार किया जाना बेहतर है ।
- छोटे–छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है ।
- लंबी अवधि के लिये छोटे अंतरालों पर की गई नियमित बचत से उंचे दर पर लाभ मिलता है और बड़ी राशि की बचत हो जाती है ।

आप जो कमाते हैं वह समृद्धि नहीं लाती पर आपके पास जो है उसे सही उपयोग से आप समृद्ध हो सकते हैं।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से हुआ सशक्तिकरण

घर की देहरी पार कर चौके–चूल्हे तक सीमित रहने वाली महिलायें अब प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बन रहे आवास में डिमास्ट्रेटर द्वारा राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। प्रशिक्षण हेतु प्रशासन द्वारा उन्हें पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। साथ ही सैद्धांतिक, प्रायोगिक ज्ञान भी डिमास्ट्रेटर द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। लगभग 45 से 60 दिवस के उपरांत उन राजमिस्त्री महिलाओं की परीक्षा होगी पश्चात् इन्हें कुशल राजमिस्त्री का प्रमाण–पत्र दिया जावेगा। फलस्वरूप सफल होने पर इन्हें इनके ग्राम में चल रहे निर्माण कार्यो में मजदूरी के बजाय कुशल कारीगर के मान से राशि प्राप्त होगी और ये महिलाएँ सशक्त होकर अब स्वयं के पैरों पर खड़ी हो सकेगी।

प्रशिक्षण के दौरान इन महिलाओं को प्रतिदिन मजदूरी रूपये 266/– के मान से जनपद पंचायत खातेगांव द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

महिलाओं को ईटों की चुनाई, पीलर, बीम भराई, रेत सीमेंट गिट्टी की गुणवत्ता की पहचान के विशय में निर्माण के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कढ़ाबुजुर्ग जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास के हितग्राही लक्ष्मण पिता गंगाराम के आवास निर्माण में दीवार चुनाई करते हुए राजमिस्त्री श्रीमती पपीता बाई, कविता बाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य कर सक्रिय भागीदारी अंकित की है।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

15 अगस्त के पावन पर्व पर संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया, इस अवसर पर सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

मनरेगा अंतर्गत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना

सिवनी जिले के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जनपद पंचायत लखनादौन में अधिकाशतः भूमि में बडे बडे बोल्डर एवं पत्थरों की मरमार है किसानों की 20 एकड़ जमीन है लेकिन किसान गरीब है क्यों कि जमीन

में कुछ भी नही होता है ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के प्रयास से वर्ष 2019–20 में विशेष पायलेट प्रोजेक्ट के तहत मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार कार्य हेतु ग्राम पंचायत घुघरी (सहसना) का चयन कर 5 हितग्राहियों के भूमि स्थल का चयन कर सर्व किया गया सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में चौपाल के माध्यम से गांव वाले श्री गन्नुलाल ठाकुर सरपंच श्री मुकेश मानिक ग्राम रोजगार सहायक श्री अजय बघेला सचिव घुघरी द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट क्या है और कैसे कार्य कर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये इस संबंध चर्चा कर आम सहमति के पश्चात् हितग्रहियों का चयन में ऐसे हितग्राही जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम भूमि है।

1. श्री मूरसिंह/पंचम – भूमि सुधार कार्य 30438 स्वीकृत राशि
2. श्री धूंरसिंह/पंचम – भूमि सुधार कार्य 30727 स्वीकृत राशि
3. श्री अनुसुईया/घनश्याम – भूमि सुधार कार्य 37962 स्वीकृत राशि
4. श्रीमति तिजिया बाई/पंचम – भूमि सुधार कार्य 32451 स्वीकृत राशि
5. श्री दीपक/ओझा – भूमि सुधार कार्य 19498 स्वीकृत राशि

मनरेगा के अंतर्गत विधिवत तकनीक स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् 5 हिगग्राहियों के खेतो में कार्य प्रांरभ किया गया सर्वप्रथम जे.सी.बी. के माध्यम बडे बडे पत्थरों को हटाया गया एवं छोटे पत्थरों को मजदूरों के माध्यम से बीन कर बोल्डर वंड संरचना तैयार की गई मनरेगा के अंतर्गत इस कार्य में सर्व प्रथम मानवश्रम के साथ साथ जे.सी.बी. का प्लाउ मशीन उपयोग किया जैसे ही बडे–बडे बोल्डर खेत एवं प्लाउ चलाकर पडत भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया गया किसान के चेहरे में खुशी की लहर दौड गयी किसानों ने पहली बार मक्का, सोयाबीन की बोनी की है निश्चय ही किसानों को आने वाले समय में इसका लाभ मिला।

आयुक्त संभाग जबलपुर द्वारा जिला प्रशासन सिवनी के साथ कृषि मूलक परियोजनाओं का स्थल निरिक्षण किया गया किसानों की बंजर भूमि में मेढ बंधान एवं बोल्डर बंद हो जाने के कारण बंजर भूमि उपजाऊ हो गई है।

मनरेगा के अंतर्गत यह प्रयोग पथरीले क्षेत्रो को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये सफल प्रयोग है। सम्पूर्ण म.प्र. में इस पायलेट प्रोजेक्ट को बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने भूमि सुधार कार्य को मनरेगा के अंतर्गत संम्पूर्ण म.प्र में लागू किया जाना चाहियें।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

''स्किल इंडिया पोर्टल पर मेसन प्रशिक्षण डाटा अपलोडिंग'' विषय पर प्रशिक्षण

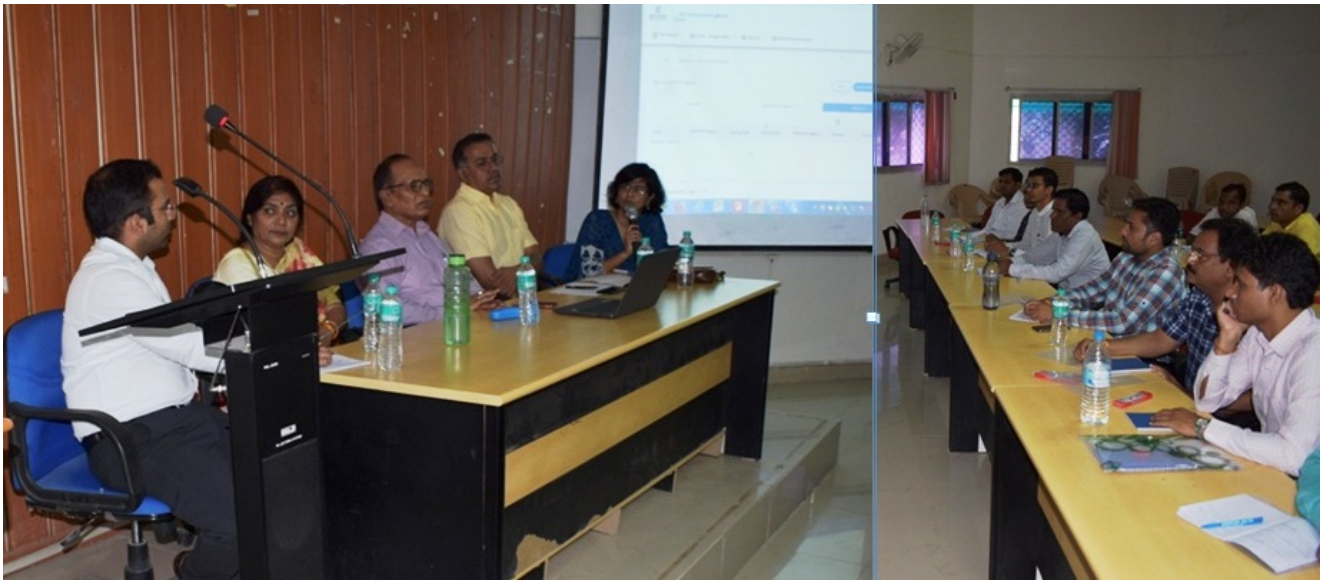

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंर्तगत जनपद पंचायतों में प्रगतिरत मेसन प्रशिक्षण का डाटा अपलोड़िंग हेतु स्किल इंडिया पोर्टल पर प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 23–24 जुलाई, 2019 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल मे किया गया।

इस प्रशिक्षण में श्री दिलीप कुमार, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण भोपाल, श्री संजय कुमार सराफ, संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर, श्रीमती मनीषा दवे, उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण भोपाल एवं श्रीमती प्रीति गुप्ता, प्राचार्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में सीएसडीसीआई नई दिल्ली से प्रशिक्षण देने हेतु उपस्थित श्री सौरभ जैसवाल द्वारा नवीन पोर्टल पर डाटा अपलोड़िंग की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया तथा द्वितीय दिवस मे समस्त प्रतिभागियों द्वारा कम्प्यूटर लैब में डाटा अपलोड़िंग का अभ्यास कराया गया।

प्रशिक्षण में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर एवं सभी 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों से संकाय सदस्य, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर आपरेटर शामिल हुये, जिन्हें स्किल इंडिया पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।